अध्याय 4: आयकर अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित अनुपालन मामले

4.1 प्रस्तावना

मनोरंजन क्षेत्र के संबंध में निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुप्रयोग, आय के अपवंचन, व्ययों तथा कटौतियों की अनियमित स्वीकृति, अनियमित दावे/हानियों के समायोजन/अग्रेषण, लाभ/कर की गलत सगंणना तथा अन्य मामलों से संबंधित चूकें पाई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1,922.93 करोड़ के कर प्रभाव वाले 592 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों का सही से अनुपालन नहीं किया गया था। निर्धारण में देखी गई चूके तथा तदनुसार कर प्रभाव नीचे तालिका में दी गई हैं तथा इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

चूकों का प्रकार	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
वृद्धि करने में औचित्य का अभाव	208	-
आय अपवंचन निर्धारण	83	643.39
व्ययों तथा कटौतियों की गलत/अनियमित स्वीकृति	179	826.75
अनियमित दावे/हानियों के समायोजन/अग्रेषण	31	80.81
धारा 115 जेबी के तहत खाता लाभ तथा धारा 115 जेएए के तहत मेट जमा की सगंणना में चूक	25	91.38
कर की सगंणना तथा अन्य मामलों में चूक	66	280.60
कुल	**592**	**1,922.93**

4.2 वृद्धि करने में औचित्य का अभाव

तदर्थ आधार पर निर्धारिती की आय में वृद्धियां करते समय एओज अस्वीकृति के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे थे, यद्यपि वृद्धियों के आधार

समान थे। हमने पांच राज्यों[45] में 208 निर्धारण मामले देखे जहां निर्धारण आदेशों में तदर्थ आधार पर निर्धारितियों की आय में वृद्धि करने में एकरूपता नहीं थी। ये वृद्धियां मुख्य रूप से 'वाउचरो की कमी', अप्रमाणित व्ययों, तृतीय पक्ष वाउचरों की अनुपस्थिति आदि जेसे भिन्न कारको के तहत तदर्थ आधार पर पांच प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच प्रतिशतता आधार पर की गई थी। हालांकि, विभेदक व्यवहार के लिए एओज द्वारा निर्धारण आदेशों में कोई विशिष्ट औचित्य अथवा वृद्धियों का आधार दर्ज नहीं किया गया भले ही वृद्धि की वजह समान थी। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों के संदर्भ में दृष्टान्तों पर चर्चा नीचे की गई है (बॉक्स 4.1 देखें)

बॉक्स 4.1: वृद्धि करने में औचित्य के अभाव के दृष्टान्त

(क) हमने महाराष्ट्र में फिल्म सर्कल (एसीआईटी-16(1), मुम्बई) में 129 मामलों में यह देखा कि ₹ 13.75 करोड़ तक वृद्धियां तदर्थ आधार पर की गई थी जहां (i) दो निर्धारण मामलों में कुल व्यय के केवल 1 *प्रतिशत* तक वृद्धि की गई थी, (ii) एक निर्धारण मामले में कुल व्यय का 2.5 *प्रतिशत* वृद्धि की गई थी; (iii) चार निर्धारण मामलों में ₹ 1 लाख से ₹ 1.50 लाख तक एकमुश्त वृद्धि की गई थी; जबकि शेष 122 मामलों में, एओज द्वारा की गई वृद्धियों में भिन्नता थी, जो कि 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच थी।

(ख) हमने कर्नाटक में 55 निर्धारण मामलों में यह देखा कि ₹ 9.86 करोड़ तक वृद्धियां तदर्थ आधार पर की गई थी। ये वृद्धियां मुख्य रूप से 5 *प्रतिशत* से 20 *प्रतिशत* के बीच प्रतिशतता आधार पर की गई थी। 28 मामलों में, वृद्धियां केवल राशियों के अनुसार की गई थी। निर्धारण आदेशों में एओज द्वारा वृद्धियों का कोई विशिष्ट औचित्य अथवा आधार अभिलेखित नहीं किया गया था।

इसने यह दर्शाया कि एओ द्वारा तदर्थ वृद्धियां करने में इस तथ्य के बावजूद कोई संगतता नहीं थी कि वृद्धियों की वजह एक थी तथा कुछ मामलों में एओज भी एक थे। मुख्य रूप से एकसमान मामलों में वृद्धियों की भिन्न प्रतिशत पर तार्किक रूप से पहुंचने के लिए उनके निर्धारण आदेशों में एओज

45 महाराष्ट्र (129 मामले), कर्नाटक (55 मामले), आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (15 मामले), उत्तर प्रदेश (5 मामले), मध्य प्रदेश (4 मामले)

द्वारा कोई मौखिक आदेश नहीं दिए गए थे। इसके अलावा, जहां महत्वपूर्ण व्यय किए गए थे, वहां तदर्थ वृद्धि का अनुपात निर्धारिती द्वारा दावा किए गए कम व्यय के पांच प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच तदर्थ वृद्धि की तुलना में एक प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत था। इस प्रकार, एओ द्वारा किए गए निर्धारण अपर्याप्त थे तथा की गई वृद्धियां व्यक्तिपरक तथा एकपक्षीय थी।

4.3 निर्धारण से बचने वाली आय

अधिनियम की धारा 28 से 59 किसी व्यवसाय, पेशे, पूंजीगत लाभ और स्रोत से हुई आय की गणना किस प्रकार हो, इसका वर्णन करती है। आय के इन स्रोतों के प्रति अनुमत कटौतियों को अननुमत करना और अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए निर्धारिती की आय में वापिस जोड़ना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 83 मामलों में, निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आय की गणना नहीं की गई थी, जिसमें ₹ 643.39 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है जैसाकि आगामी पैराग्राफों में वर्णित किया गया है।

4.3.1 अनुदघोषित जमा कर में शामिल नहीं किया गया

अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, जहां निर्धारिती की बहियों में कोई राशि जमा पाई गई तथा एओ ने उसकी प्रकृति और स्रोत के संबंध में कोई औचित्य नहीं पाया या निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एओ के मत के अनुसार संतोषजनक नहीं था, ऐसी जमा की गई राशि को निर्धारिती की उस वर्ष की आय मानकर आयकर लगाया जा सकता है।

छः राज्यों[46] में 18 मामलों में हमने पाया कि आयकर विभाग ने अधिनियम 68 के अंतर्गत वृद्धियां नहीं की यद्यपि निर्धारितियों की बहियों में जमा की गई राशि का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 305.31 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। चार मामलों का सौदाहरण वर्णन निम्नलिखित है (देखें बॉक्स 4.2)

46 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिसा और तमिलनाडु

बॉक्स 4.2: कर में शामिल नहीं किए गए अस्पष्टीकृत जमा के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुंबई
निर्धारिती: मै. एम. आई. मराठी मीडिया लि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14

संवीक्षा निर्धारण ₹ 6.56 करोड़ की हानि के साथ फरवरी 2016 में पूर्ण किया गया। नि.व. 2013-14 में निर्धारिती ने मै. प्रॉस्पर्टी एग्रो इंडिया लिमिटेड (पीएआईएल) से प्राप्त ब्याज मुक्त अंतर-कॉरपोरेट जमा के रूप में ₹ 88.24 करोड़ की राशि जमा की। तथापि, पीएआईएल की तुलन पत्र में निर्धारिती को दिए गए ऐसे किसी जमा को नहीं दर्शाया गया। अत: निर्धारिती की बहियों में अस्पष्टीकृत जमा प्रकट हुआ तथा इसे धारा 68 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना चाहिए था। इस चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 38.65 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-10, चैन्नई
निर्धारिती: मै. जेमिनी इंडस्ट्रिज एंड इमेजिंग लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संवीक्षा निर्धारण ₹ 14.19 करोड़ की आय के साथ मार्च 2015 में पूर्ण किया गया। वि.व. 2011-12 में निर्धारिती ने ₹ 100 के अंकित मूल्य के साथ 36,00,010 शेयर जारी किए तथा तीन व्यक्तियों को ₹ 900 प्रति शेयर के मूल्य पर प्रीमीयम जारी किऐ जैसा नीचे दर्शाया गया है:

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	31/03/2011 तक शेयरों की सं.	2011-12 में जारी शेयर	31/03/2012 तक शेयरों की संख्या
1	ए. रविशंकर प्रसाद	9,25,000	24,69,295	33,94,295
2	ए. मनोहर प्रसाद	29,09,794	5,04,705	34,14,499
3	पी. किरण	-	6,26,010	6,26,010
	कुल	**38,34,794**	**36,00,010**	**74,34,804**

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने ए.मनोहर प्रसाद के अभिलेखों से पाया कि 31 मार्च 2012 (₹ 100 x 34,14,499 शेयर) तक निर्धारिती कंपनी में उसका वास्तविक निवेश केवल ₹ 34.15 करोड़ था जो दर्शाता है कि उसको आवंटित शेयरों के लिए उसके द्वारा किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, ₹ 45.42 करोड़ का एक प्रीमियम निर्धारिती को मनोहर प्रसाद से

प्राप्त हुआ दर्शाया गया था। इसी प्रकार, ए. रविशंकर प्रसाद के अभिलेखों से, लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती कंपनी में उनके द्वारा इस प्रकार का कोई निवेश नहीं किया गया था। तथापि, ₹ 246.93 करोड़ का एक निवेश प्रीमियम सहित (₹ 1000 x 24,69,295 शेयर) उसके नाम पर दर्शाया गया था।

तदनुसार, निर्धारिती के खातों में दर्शायी गई ₹ 292.35 करोड़ (₹ 45.42 करोड़ + ₹ 246.93 करोड़) के प्रीमियम और अंकित मूल्य अधिनियम की धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद जमा प्रकृति के थे और निर्धारिती की आय में जोड़े जाने चाहिए थे। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 118.11 करोड़ तक के कर का कम उदग्रहण हुआ।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ 233.77 करोड़ मूल्यराशि के शेयर प्रीमियम के प्रारंभिक जमा का उपरोक्त उल्लिखित शेयर धारकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। अत: निर्धारिती द्वारा वर्ष 2011-12 के तुलन पत्र में दर्शाया गया ₹ 233.77 करोड़ की शेयर प्रीमियम राशि अधिनियम की धारा 68 के तहत अस्पष्ट नकद जमा के रूप में मानी जानी आवश्यक थी। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 103.15 करोड़ तक का कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-1, हैदराबाद

निर्धारिती: मै. अर्का लेशर एण्ड मीडिया एन्टरटेमेंट प्रा.लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

संवीक्षा निर्धारण ₹ 19.39 करोड़ की हानि पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने अपने लेखा-बही में (31 मार्च 2013 तक) मै. अग्रो गोल्ड फार्म एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एजीएफईआईपीएल) और मै. ड्रीम लैण्ड वेन्चरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीएलवीआईपीएल) से प्राप्त प्रीमियम शेयर के रूप में क्रमश: ₹ 15.22 करोड़ और ₹ 14.99 करोड़ की राशि दर्शायी थी। तथापि, एजीएफईआईपीएल के लेखा-बही में निर्धारिती कंपनी में निवेश को 'शून्य' दर्शाया गया था, जबकि, डीएलवीआईपीएल के लेखा-बही के अनुसार, इसने निर्धारिती के खातों में दर्शाये गए ₹ 14.99 करोड़ के संबंध में केवल ₹ 8.40 करोड़ का निवेश किया

था। इस प्रकार, शेयरों में निवेश की गई राशि के संबंध में दो आंवटित कंपनियों के लेखो के लिए, निर्धारिती के लेखों में ₹ 21.81 करोड़ का अंतर था। परिणामस्वरूप, निर्धारिती के लेखों में दर्शाई गई ₹ 21.81 करोड़ की अतिरेक राशि को अधिनिमय की धारा 68 के तहत अस्पष्ट जमा के रूप में माना जाना चाहिए और निर्धारिती की आय में पुन: जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.07 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 21.81 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर

निर्धारण: मै. एन. के. मीडिया वेंचर्स (प्रा.) लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2014-15

संवीक्षा निर्धारण क्रमश: ₹ 5.68 करोड़ और ₹ 6.15 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए मार्च 2015 और दिसंबर 2016 में पूरे किये गए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ 2.80 करोड़ और ₹ 3.35 करोड़ की शेयर आवेदन राशि और ₹ 3.74 करोड़ और ₹ 4.75 करोड़ के असुरक्षित ऋण क्रमश: 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2014 तक तुलन-पत्र में दर्शायी गयी थी। हालांकि, न तो निर्धारिती द्वारा शेयर आवेदन राशि/असुरक्षित ऋण के समर्थन मे कोई भी प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत किए और न ही संवीक्षा निर्धारण के दौरान एओ द्वारा इनकी मांग की गई। उपरोक्त के सत्यापन नहीं होने के कारण, ₹ 6.15 करोड़ (₹ 2.80 करोड़ + ₹ 3.35 करोड़) की शेयर आवेदन राशि और ₹ 8.30 करोड़ (₹ 3.74 करोड़ + ₹ 4.56 करोड़) के असुरक्षित ऋण को अस्पष्ट नकद जमा के रूप में पुन: जोड़ा जाना आवश्यक था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 4.98 करोड़ के कुल कर प्रभाव सहित ₹ 14.45 करोड़ (₹ 6.15 करोड़ + ₹ 8.30 करोड़) की सीमा तक अस्पष्ट नकद जमा की गलत अनुमति दी गई थी।

4.3.2 कर के लिए आय प्रस्तुत नहीं की गई

14 राज्यों[47] में 65 निर्धारण मामलों में ₹ 338.08 करोड़, के कर प्रभाव सहित, हमने पाया कि आयकर विभाग ने राशि को कर के रूप में शामिल नहीं किया था जो कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारिती की आय के रूप में साधित की गई थी। चार मामलों के उदाहरण नीचे दिये गए हैं (बॉक्स 4.3 देखें)।

बॉक्स 4.3: मामलों के उदाहरण जहां कर के लिए आय प्रस्तुत नहीं की गई

(क) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-3, मुम्बई

निर्धारिती: मै. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई)

निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2014-15

आय कर नियमावली के नियम 115 के अनुसार, विदेशी मुद्रा में निर्धारिती के लिए उपार्जित अथवा उत्पन्न किसी भी आय की रूपयों में मूल्य की संगणना करने के लिए विनिमय की दर ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टीटी) खरीद दर होनी चाहिए जिस तिथि पर कर की कटौती आवश्यक थी।

नि.व. 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारणों को क्रमश: ₹ 874.18 करोड़, ₹ 856.83 करोड़, ₹ 1304.57 करोड़, ₹ 1371.65 करोड़ और ₹ 1131.09 करोड़ की निर्धारित आय पर फरवरी 2013, दिसंबर 2013, दिसंबर 2013, मार्च 2016 और दिसंबर 2016 में पूर्ण किया गया था। आईपीएल फ्रेंचाइजी की निलामी के लिए 'निविदा के लिए आंमत्रण' खण्ड के अनुसार, बीसीसीआई ने भुगतान के समय एसबीआई द्वारा प्रकाशित टीटी विक्रय विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित फ्रेंचाइजी फीस की किस्त प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि फ्रेंचाइजियों[48] द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए 1 यूएसडी=40 आईएनआर की समान विनिमय दर का प्रयोग कर (फ्रेंचाइजी के साथ समझौते की तिथि पर विनिमय दर के अनुसार) भारतीय मुद्रा में किस्तों के भुगतान किये गए थे। हालांकि, बीसीसीआई द्वारा वर्तमान प्रचलित विनिमय

47 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

48 मै. इंडियाविन स्पोर्ट्स प्रा.लि. (आईएसपीएल), मै. नाइट राइडरस स्पोर्ट्स प्रा.लि. (केआरएसपीएल) और मै. जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्रा.लि. (जेआईसीपीएल)

दर के अनुसार फीस की वसूली नहीं की गई। उसी प्रकार, आयकर विभाग ने भी धारा 115 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर आय का निर्धारण नहीं किया था। इस तरह, वि.व. 2009-10 से 2013-14 की फ्रेंचाइजी फीस से बीसीसीआई को ₹ 325.78 करोड़ कम आय प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप ₹ 100.67 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-2, बैंगलुरू
निर्धारण: मै. कस्तुरी मीडियास प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

अधिनियम की धारा 50सी के अनुसार, यदि स्टैम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा तय मूल्य से कम पर संपत्ति का विक्रय किया जाता है, तब इन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य पूंजी लाभ की संगणना के उद्देश्य के लिए प्रतिफल का मूल्य माना जाना चाहिए।

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 7.41 करोड़ की हानि पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। निर्धारिती ने, पूंजी लाभ की संगणना के समय, स्टैम्प मूल्यांकन प्रधिकरण के अनुसार ₹ 4.52 करोड़[49] के उचित बाजार मूल्य के संबंध में व्यावसायिक संपत्ति के विक्रय पर ₹ 1.50 करोड़ के प्रतिफल को स्वीकार किया और एओ द्वारा इसकी अनुमति भी दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.60 लाख के कर प्रभाव के फलस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ (₹ 1.93 करोड़ के अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत का निवल) के पूंजी लाभ का कम निर्धारण हुआ।

(ग) प्रभार: सीआईटी (छूट), चंड़ीगढ़
निर्धारिती: मै. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संवीक्षा निर्धारण ₹ 12.30 करोड़ की आय पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था1 लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने बीसीसीआई से ₹ 11.24 करोड़ की प्रतिफल राशि प्राप्त की थी जिसको आय के रूप प्रस्तुत नहीं किया गया था और अपने खातों में अग्रिम के रूप में

49 प्रतिलोभ तंत्र के अनुसार निर्धारित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर क्रेता द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की बाह्य गणना द्वारा की गई संगणना।

मान लिया था। जबकि निर्धारिती द्वारा उपरोक्त राशि पर ₹ 22.47 लाख के टीडीएस का दावा किया गया था और कर की संगणना करते समय आयकर विभाग द्वारा अनुमत किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.08 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 11.24 करोड़ की आय निर्धारण से बच गई थी।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-1, लखनऊ
निर्धारिती: गंगा दत्ता उपाध्याय
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संवीक्षा निर्धारण ₹ 26.92 लाख की आय पर मार्च 2015 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती को जैसा उसके अपने 26एएस में दिखाया गया उसे ₹ 10.90 करोड़ की कुल आय प्राप्त हुई थी। हालांकि, लाभ और हानि खाते में इसे केवल ₹ 7.93 करोड़ लेखांकित किया गया और उस पर कटौती किए गए ₹ 15.63 लाख के सम्पूर्ण टीडीएस का दावा किया गया। एओ ने ₹ 2.97 करोड़ की शेष राशि को पुन: निर्धारिती की आय में नहीं जोड़ा था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.97 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ।

4.4 खर्चों और कटौतियों की गलत/अनियमित अनुमति

अधिनियम के प्रावधान निर्धारिती को विशेष निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर विभिन्न खर्चों और कटौतियों का दावा करने की अनुमति देते हैं। यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, तो निर्धारण अधिकारी द्वारा संबंधित खर्च/कटौतियों को अस्वीकृत करना आवश्यक था। हमने ₹ 826.75 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए 179 मामले देखे जहां आयकर विभाग द्वारा खर्चों और कटौतियों की गलत/अनियमित अनुमति दी गई थी।

4.4.1 कटौती न होना/कम होना अथवा टीडीएस जमा न होना

अधिनियम की धारा 40(ए) (आईए) के अनुसार, 'कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ और अर्जन' शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की संगणना करने में किसी भी व्यय की कटौती की अनुमति नहीं है जिस पर कर स्रोत पर कटौती योग्य है और इस कर की कटौती नहीं की गई है अथवा, कटौती के बाद, धारा 139(1) में निर्दिष्ट देय तिथि पर या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

हमने 14 राज्यों[50] में ₹ 591.25 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए 50 निर्धारण मामले देखे जिसमें निर्धारितीयों ने खर्चों का दावा किया था यद्यपि उस पर लागू टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी अथवा कटौती के बाद, निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सरकारी खाते में जमा नहीं किया था हालांकि, आयकर विभाग ने इन खर्चे को अस्वीकृत नहीं किये थे ।पाँच मामलें नीचे निदर्शित किये गए हैं (बॉक्स 4.4 देखें)।

बॉक्स 4.4: कटौती न होना/कम होना अथवा टीडीएस जमा नहीं करने के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-4, चैन्नई
निर्धारिती: मै. न्यू जनरेशन मीडिया कॉर्पोरेशन प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 43.66 लाख की हानि पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। निर्धारिती ने 'डिजाइन व विकास और सेवा प्रभारों' के प्रति ₹ 8.36 करोड़ और 'उपकरण किराया शुल्क' के प्रति ₹ 11.25 करोड़ के खर्चों का दावा किया था जिस पर टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी और संबंधित निर्धारितियों के फॉर्म 26क्यू के साथ-साथ 26एएस से इसकी पुष्टि की गई थी। यद्यपि, अधिनियम की धारा 40ए (आईए) के तहत व्यय की अस्वीकृत नहीं की गई थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 19.61 करोड़ का कम निर्धारण और ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 8.86 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-1, हैदराबाद
निर्धारिती: सेलीब्रिटी क्रिकेट लीग
निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2014-15

निर्धारिती के नि.व. 2012-13 और नि.व. 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण ₹ 24.86 करोड़ की हानि और शून्य आय पर क्रमश: मार्च 2015 और सितंबर 2016 में पूरे किये गए थे। लेखापरीक्षा में फॉर्म 26क्यू के साथ-साथ निर्धारिती के खाता-बही में देखा गया कि निर्धारिती द्वारा क्रमश:

50 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मु और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनईआर, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल

नि.व. 2012-13 और नि.व. 2014-15 में ₹ 5.77 करोड़ और ₹ 5.49 करोड़ राशि की 'व्यवसायिक अथवा तकनीकी सेवाओं' का दावा किया था जिस पर टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी। तथापि अधिनियम की धारा 40ए(आईए) के तहत ये व्यय अस्वीकृत नहीं किये गए थे। चूक के परिणामस्वरूप क्रमश: ₹ 5.77 करोड़ और ₹ 5.49 करोड़ का कम निर्धारण हुआ फलस्वरूप नि.व. 2012-13 और नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 1.78 करोड़ और ₹ 1.70 करोड़ (₹ 3.48 करोड़ के कुल कर प्रभाव) के कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल), बैंगलुरू
निर्धारिती: के. मंजू
निर्धारण वर्ष: 2007-08 से 2012-13

नि.व. 2007-08 से 2012-13 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमश: ₹ 1.10 करोड़, ₹ 1.14 करोड़, ₹ 1.57 करोड़, ₹ 0.76 करोड़, ₹ 3.64 करोड़ और ₹ 1.26 करोड़ की आय पर मार्च 2014 में पूरे किये गए थे। निर्धारण आदेश पर विचार विमर्श करते समय लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने नि.व. 2008-09 से 2012-13 से ₹ 6.83 करोड़ का व्यय अस्वीकृत किया था, जिस पर स्रोत पर कोई कटौती नहीं की गई थी। यद्यपि, कर योग्य आय की संगणना करते समय, इसको निर्धारिती की आय में पुन: जोड़ा नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, एओ ने ₹ 6.84 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.23 करोड़ पर निर्धारिती की अघोषित आय को स्वीकार किया था, परिणामस्वरूप ₹ 4.62 करोड़ का कम निर्धारण हुआ। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.09 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 11.45 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी, पणजी
निर्धारिती: गोवा क्रिकेट संघ
निर्धारण वर्ष: 2009-10, 2010-11 और 2011-12

नि.व. 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारण संवीक्षा धारा 147[51] के तहत पुन: खोले गए थे जिसमें धर्माथ ट्रस्ट के रूप में धारा 11 के तहत छूट का दावा किया गया था और निर्धारिती का पंजीकरण न करने के

51 मार्च 2014 (नि.व. 2010-11 और 2011-12) और मार्च 2016 (नि.व. 2009-10)

आधार पर धारा 12एए के प्रावधानों के अनुसार छूट अस्वीकृत किया गया था। उपरोक्त नि.व. के लिए कार्यवाही पुन: शुरू करने के परिणाम से पहले, टीडीएस अधिकारी ने सूचित किया (दिसंबर 2012) कि, अधिनियम की धारा 194-सी, 194-जे और 194-आई के तहत टीडीएस की कटौती में निर्धारिती चूककर्ता था। समय पर सूचित किये जाने के बावजूद, एओ ने ₹ 17.03 करोड़[52] के कुल संबंधित व्यय को अस्वीकृत करने के लिए प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यवाही नहीं की थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.19 करोड़ के कुल कर के कम उदग्रहण को शामिल करते हुए समान राशि की आय की कम संगणना हुई।

(ड़) प्रभार: पीसीआईटी-1, कोलकाता
निर्धारिती: आर.पी. टेकविजन (इंडिया) प्रा.लि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14

लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पाया कि कमीशन, ठेकेदारो, व्यवसायिक और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और किराये के लिए भुगतान करते समय निर्धारिती द्वारा ₹ 21.05 करोड़ का कुल कर काटा गया था परन्तु इसे सरकारी खाते मे जमा नहीं किया गया था। आगे देखा गया कि ₹ 21.05 करोड़ में से, मार्च 2016 में पूरी की गई निर्धारण संवीक्षा के दौरान केवल ₹ 59.01 लाख[53] को अस्वीकृत किया गया था। इस प्रकार शेष ₹ 20.46 करोड़ की राशि को सरकारी खाते में टीडीएस जमा नहीं करने के कारण पुन: जोडा जाना आवश्यक था। ₹ 20.46 करोड़ के व्यय की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 6.64 करोड़ कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 20.46 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

4.4.2 निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना कटौतियों की स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने 10 राज्यों[54] में 48 निर्धारण मामलों में पाया कि निर्धारिती को अतिरिक्त कटौती दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 68.10 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। चार मामलों के उदाहरण नीचे दिये हैं (बॉक्स 4.5 देखें)।

---

52 नि.व. 2009-10: ₹ 5.96 करोड़; 2010-11: ₹ 6.37 करोड़; नि.व. 2011-12: ₹ 4.70 करोड़

53 ₹ 33.26 लाख विज्ञापन के लिए और ₹ 25.75 लाख कारोबार संवर्धन के लिए

54 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल

बॉक्स 4.5: निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना कटौती की अनुमति देने के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी (छूट), कोलकाता
निर्धारिती: मै. बंगाल क्रिकेट संघ
निर्धारण वर्ष: 2012-13 से 2014-15

अधिनियम की धारा 2(15) के प्रॉवधान के साथ पठित धारा 13(8) के तहत, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी भी अन्य वस्तु में वृद्धि एक धर्माथ उद्देश्य नहीं होगा यदि किसी भी निर्धारण वर्ष में व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के स्वरूप में किसी भी गतिविधिओं का किया जाना सम्मिलित है, अधिनियम की धारा 11 के तहत उस निर्धारण वर्ष के लिए छूट की अनुमति नहीं है।

निर्धारिती के नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट की अनुमति दिये जाने के बाद ₹ शून्य आय पर क्रमश: नवंबर 2014, जनवरी 2016 और दिसंबर 2016 में पूरे किये गए थे। निर्धारिती ने नि.व. 2012-13 से नि.व. 2014-15 से अधिनियम की धारा 11 के तहत ₹ 34.75 करोड़ का दावा किया गया और उसे छूट की अनुमति दी गई थी यद्यपि उसने बीसीसीआई से ₹ 98.02 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त की थी जो कि वाणिज्यिक प्रकृति की थी, अत: एओ को निर्धारित द्वारा दावा की गई छूट को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और इसे कर के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए था। बीसीसीआई और अन्य आठ राज्य क्रिकेट संघों[55] के मामले में यह कहना प्रासंगिक है कि, एओ ने इंडियन प्रमियर लीग (आईपीएल) की मेजबानी के बाद वाणिज्यिक के रूप में उनकी गतिविधियों को माना था और वाणिजियक प्राप्तियों के रूप में बीसीसीआई से छूट और करों के रूप में प्राप्त सब्सिडियों को अस्वीकृत दी थी। तथापि, इस मामले में, बावजूद इसके कि संव्यवहार वाणिज्यिक प्रकृति के है, एओ ने निर्धारिती अर्थात् मै. बंगाल क्रिकेट संघ को छूट की अनुमति दी थी। चूक के परिणामस्वरूप

55 (1) मुंबई क्रिकेट संघ (महाराष्ट्र) (2) राजस्थान क्रिकेट संघ (राजस्थान) (3) पंजाब क्रिकेट संघ (पंजाब) (4) तमिलनाडु क्रिकेट संघ (तमिलनाडु) (5) केरल क्रिकेट संघ (केरल) (6) गुजरात क्रिकेट संघ (गुजरात) (7) उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (उत्तर प्रदेश) और (8) झारखंड क्रिकेट संघ (झारखंड)

नि.व. 2012-13 से नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 34.75 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 13.71 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ।

आयकर विभाग ने अपने उत्तर में (मार्च 2018) बताया कि निर्धारिती-संस्था राष्ट्रीय निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फोर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) का एक सदस्य है, जो भारत में क्रिकेट के खेल को विनियमित और प्रोत्साहित करती है और निर्धारिती संस्था का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहित करना है। निर्धारिती, एक राज्य क्रिकेट संघ होने के नाते, अन्तर्राष्ट्रीय मैचों को आयोजित कराते समय टिकटों, विज्ञापन, संविदात्मक आय आदि के विक्रय पर राजस्व प्राप्त करने का हकदार है। वह सभी स्टेडियम में सभी प्रायोजनों, विज्ञापनों और पेय पदार्थ राजस्व, आदि के लिए हकदार है। वह निम्नलिखित शीर्ष से आय अर्जित करता है- (1) सदस्यों से अंशदान (2) टिकटों का विक्रय (3) विज्ञापनों से राजस्व (4) बीसीसीआई से प्राप्तियां (5) बैंक जमाओं से ब्याज (6) संविदात्मक भुगतानों जैसे पेय पदार्थ से राजस्व। यह इस आय का पं. बंगाल राज्य के क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करता है। निर्धारिती-संस्था, बीसीसीआई का एक सदस्य होने के नाते, बीसीसीआई द्वारा आयोजित मैचों की मेजबानी करते हैं और क्रिकेट दर्शकों को टिकटों का विक्रय करते हैं। निर्धारिती की भूमिका केवल आयोजित मैचों के लिए स्टेडियम उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय मैंचो और इंडियन प्रमियर लीग मैचो को आयोजित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। निर्धारिती-संस्था की अन्य गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतर-विश्वविद्यालय, अंतर-विद्यालय और अंतर-संघ मैचों और पं. बंगाल राज्य में जिला स्तर पर कॉलेज के छात्रों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं प्रदान करना है। इन गतिविधियों पर शामिल व्यय निर्धारिती संस्था के पास बचे हुए अधिशेष निधि से पूरे किये गए थे। मेजबान होने के नाते इन व्ययों को पूरा करने के लिए बीसीसीआई से भी इनको निधियां प्राप्त होती है तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारिती किसी व्यापारिक गतिविधि का आयोजन करता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान

लागू नहीं किये गए है और निर्धारिती प्रतिफल के तहत सभी निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट के लिए हकदार है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं बताया कि निर्धारिती ने एक दिवसीय मैचो, टी-20 मैचो और इंडियन प्रमियर लीग मैचो के लिए व्यय वहन करने के लिए विभिन्न कॉरपोरेट को वाणिज्यिक अधिकार विज्ञापन का विक्रय किया था। क्योंकि निर्धारिती ने विभिन्न कॉरपोरेट को अपने विज्ञापन अधिकार और वाणिजियक अधिकार का विक्रय किया था, इस प्रकार के विज्ञापन अधिकार और वाणिज्यिक अधिकार के विक्रय से प्राप्त आय को वाणिज्यिक आय के रूप में माना जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, बीसीसीआइ के द्वारा धारा 194सी के तहत टीडीएस की कटौती से पता चलता है कि निर्धारिती को बीसीसीआई द्वारा किया गया भुगतान पूर्ण रूप से संवीदात्मक आधार पर था। इसलिए, बीसीसीआई से प्राप्तियों को निर्धारिती की वाणिजियक आय के रूप में मानना आवश्यक था। अत: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती कर की छूट का हकदार नहीं था।

(ख) प्रभार: सीआईटी-6, हैदराबाद
निर्धारिती: मै. श्री वंकेंटशवरा सिने चित्रा प्रा.लि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती की संवीक्षा निर्धारण शून्य आय पर मार्च 2016 में पूर्ण की गई थी। निर्धारिती ने ₹ 13.86 करोड़ की आय घोषित की थी और चलचित्र 'ऑनगोल गीता' जो 1 फरवरी 2013 को प्रदर्शित हुई थी के प्रति ₹ 15.70 करोड़ की निर्माण लागत का दावा किया था। क्योंकि फिल्म वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले 90 दिनों के अदंर प्रदर्शित नहीं हुई थी, निर्धारिती नियम 9ए के प्रावधानों के अनुसार केवल ₹ 13.86 करोड़ की सीमा तक की निर्माण लागत का दावा करने का हकदार था। फिर भी, एओ ने निर्धारिती को निर्माण लागत पर ₹ 15.70 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय अनुमत किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 59.74 लाख के कम कर उदग्रहण के साथ ₹ 1.84 करोड़ की अतिरेक व्यय की अनुमति दी गई थी।

आयकर विभाग ने आंशिक रूप से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जनवरी 2018) को स्वीकार करते हुए बताया कि निर्माण लागत में सम्मिलित ₹ 87.65 लाख के प्रचार और अंतिम प्रिंट खर्च अधिनियम की धारा 37 के तहत अन्यथा स्वीकार्य थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। नियम 9ए के अनुसार, निर्माण न की लागत निर्धारिती द्वारा वसूली गई आय की सीमा तक सीमित होनी चाहिए।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-3, मुम्बई
निर्धारिती: मै. सिनेपोलिस इंडिया प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारण संवीक्षा ₹ 15.16 करोड़ की हानि पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सरकार ने मनोरंजन कर के संग्रहण से निर्धारित को छूट दी थी जिसके कारण निर्धारिती ने ₹ 13.08 करोड़ के मनोरंजन कर के संग्रहण को पूंजीगत प्राप्ति के रूप में प्रस्तुत किया था और उस पर छूट का दावा किया था। उपरोक्त छूट का दावा एओ के द्वारा भी अनुमत किया गया था। तथापि, निर्धारिती और राज्यों के बीच हुए 'मनोरंजन कर छूट समझौतो' में देखा गया कि उक्त छूट मल्टीप्लेक्स परियोजना से संबंधित थी, लाभ कमाने के लिए बड़ी पूंजी और लम्बी निर्माण अवधि आवश्यक थी। परिणामस्वरूप, मनोरंजन कर के आधार पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई छूट की राशि आईटी अधिनियम की 43(1) के स्पष्टीकरण 10 के प्रॉवधान के तहत मल्टीप्लेक्स की परिसंपत्तियों के खंड के प्रति समायोजित की जानी आवश्यकता थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.44 करोड़ के प्रासंगिक कर प्रभाव के फलस्वरूप ₹ 13.08 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ हैं।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-2, बैंगलुरू
निर्धारिती: मै. बिग एनीमेशन इंडिया प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14 और 2014-15

नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमश: ₹ 20.54 करोड़ और ₹ 24.06 करोड़ की हानि पर फरवरी 2016 और जुलाई 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा मे देखा गया कि नि.व. 2014-15 के दौरान, निर्धारिती ने ₹ 23.96 करोड़ के परिचालन खर्चे लाभ और हानि

खाते में डेबिट किये जिसमें फिल्मों के परिशोधन लागत के प्रति ₹ 19.33 करोड़ सम्मिलित थे। उपरोक्त लागत में से, ₹ 15.34 करोड़ एनीमेशन फिल्म शीर्षक 'कृष्णा और कंस' की परिशोधन लागत के 50 प्रतिशत से संबंधित थे। हालांकि, निर्धारिती की लेखांकन नीति से पता चला कि 10 वर्षों की अवधि में प्रदर्शित फिल्मों और धारावाहिकों की माल-सूची लागत का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति से उस वर्ष से शुरू किया गया जिसमे इसे प्रसारण के लिए लाइसेंस प्राप्त था। तथापि, फिल्म 'कृष्णा और कंस' के लिए लागत दो वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित थी अर्थात ₹ 15.34 करोड़ कुल लागत का 50 प्रतिशत होने के नाते प्रत्येक दो निर्धारण वर्षों (नि.व. 2013-14 और 2014-15) में परिशोधित किया गया था जो अनियमित था, क्योंकि 10 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधन किया जाना आवश्यक था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप दोनों निर्धारण वर्षों में ₹ 8.16 करोड़ के संचित कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 24.54 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

4.4.3 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यय स्वीकार्य नहीं है

15 राज्यों[56] के 81 निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारिती के व्यय स्वीकार्य नहीं थे, आयकर विभाग द्वारा अनुमत व्ययों के परिणामस्वरूप ₹ 167.41 करोड़ की कम मांग हुई। चार मामलें नीचे दिये गए हैं (बॉक्स 4.6 देखें)।

बॉक्स 4.6: अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनुमत नहीं किये गए व्ययों के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-2, अहमदाबाद
निर्धारिती: मै. फ्यूज प्लस मीडिया प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12

निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण ₹ 6.59 करोड़ की आय पर जनवरी 2014 में पूरा किया गया था। निर्धारिती ने 'उत्पाद विकास व्यय' के संबंध में ₹ 2.26 करोड़ की राशि डेबिट की थी जो पूंजीगत प्रकृति की थी क्योंकि निर्धारिती ने

56 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मु और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

इससे स्थाई लाभ प्राप्त किया था। अत:, इसको पूंजीगत करने की आवश्यकता थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़ की आय (अमूर्त परिसंपत्ति होने के नाते 25 प्रतिशत दर पर मूल्यह्रास का लाभ देने के बाद) का कम निधारण हुआ, फलस्वरूप ₹ 75.49 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ख) प्रभार: सीआईटी-4, हैदराबाद
निर्धारिती: मै. प्रकाश आर्टस प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14 से 2014-15

निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण क्रमश: ₹ 3.92 करोड़ और ₹ 4.06 करोड़ की आय पर मार्च 2016 और नवंबर 2016 में पूरे किये गए थे। निर्धारिती ने ₹ 16.12 करोड़ का व्यय वहन किया (विज्ञापन पट निर्माण और अनुरक्षण हेतु ₹ 12.95 करोड़ और बस आश्रय निर्माण और अनुरक्षण हेतु ₹ 3.17 करोड़)। क्योंकि उपरोक्त व्यय पूंजी व्यय प्रकृति के थे इनको पूंजीगत किये जाना आवश्यक था।

चूक के परिणामस्वरूप ₹ 13.70 करोड़ का अतिरेक व्यय हुआ (संयंत्र और मशीनरी होने के नाते 15 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास का लाभ देने के बाद) फलस्वरूप ₹ 3.96 करोड़ की कम मांग हुई।

(ग) प्रभार: सीआईटी-2, दिल्ली
निर्धारिती: मै. भारती टेलीमीडिया लि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने नि.व. 2013-14 के दौरान लाभ और हानि खाते में 'वित्त लागत' शीर्ष के तहत ₹ 43.20 करोड़ का ब्याज व्यय डेबिट किया था। उपरोक्त व्यय में विवादित मनोरंजन कर पर ब्याज के प्रॉवधान हेतु ₹ 16.40 करोड़ और विवादित लाइसेंस फीस पर ब्याज के प्रॉवधान हेतु ₹ 26.80 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार, अनिश्चित देयताओं वाले खर्चों को अस्वीकृत करना चाहिए और निर्धारिती की आय में पुन: जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा न करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 14.02 करोड़ के प्रासंगिक कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 43.20 करोड़ की मूल्यराशि की हानि को अधिक बताया गया था। आयकर विभाग ने अपने उत्तर

(अक्टूबर 2017) में कहा था कि प्रावधान तब स्वीकृत किये गए थे जब कंपनी के पास पूर्व कार्यक्रम के परिणाम के रूप में वर्तमान दायित्व थे और तुलन-पत्र तिथि पर दायित्वों का समाधान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम आंकलनो पर निर्धारित किया था। मै. भारती एयरटेल सर्विसिस लि. के मामले में माननीय आईटीएटी के निर्णय को भी उद्धृत किया गया था।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था। लाभ और हानि खाते की टिप्पणियों के अनुसार तैयार किए गए ब्याज खर्चे वर्ष के दौरान आकस्मिक प्रकृति के प्रावधान थे और इसलिए यह स्वीकार्य नहीं था। आईटीडी द्वारा उद्धृत निर्णय स्टॉक के मूल्य में ह्रास के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए प्रावधान से संबंधित था और इस कारण यह तत्काल मामले में प्रासंगिक नहीं था।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्यूनिकेशन लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविक्षा निर्धारण शून्य आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने ₹ 113.76 करोड़ का अल्प अवधि ऋण लिया था और ₹ 88.84 करोड़ के ब्याज खर्च का दावा किया था। नि.व. 2011-12 के नकदी प्रभाव विवरण के अनुसार, निर्धारिती के पास लेख बही में ₹ 34.72 करोड़ (अर्थात लगभग 57.81 प्रतिशत के पूंजीकृत ब्याज) थे और राजस्व व्यय के रूप में ₹ 25.33 करोड़ के शेष ब्याज खर्चो का दावा किया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि निर्धारिती के पास नि.व. 2012-13 में (पिछले वर्ष ₹ 555.70 करोड़) ₹ 402.24 करोड़ की अर्थात पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) की माल सूची थी और चालू वर्ष के दौरान लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अत: सीडब्ल्यूआईपी के संबंध में ₹ 50.63 करोड़ के अनुपातिक ब्याज (₹ 88.84 करोड़ के कुल ब्याज का 57 प्रतिशत) को नि.व. 2012-13 के दौरान भी पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप् ब्याज सहित ₹ 22.34 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को शामिल करते हुए ₹ 50.63 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ।

4.5 हानियों का अनियमित संमजन/अग्रेषण

₹ 80.81 करोड़ के कर प्रभाव सहित 31 मामलों में हमने पाया कि हानियों के अनियमित समंजन/अग्रेषण आईटीडी द्वारा अनुमत किये गए थे। मामले को आगामी पैराग्राफ़ों में वर्णित किया गया है।

4.5.1 अधिनियम की धारा 68 और 69 के तहत की गई वृद्धि के प्रति समायोजित हानियां

अधिनियम कि धारा 115बीबीई के अनुसार जहां निर्धारिती की कुल आय धारा 68, धारा 69 धारा 69ए, धारा 69बी, धारा 69सी अथवा धारा 69डी में निर्दिष्ट किसी भी आय में शामिल है तो कुल देय आय कर होगा (क) उपरोक्त धाराओं में निर्दिष्ट आय पर संगणित आय कर की राशि 30 प्रतिशत की दर पर; और (ख) आय कर की राशि जिसके साथ निर्धारिती पर प्रभार्य होगा जिसकी कुल आय खंड (क) में निर्दिष्ट आय की राशि से कम कर दी गई हो। यह भी अनुबंधित करता है कि यद्यपि इस अधिनियम में होने के बावजूद भी किसी भी व्यय अथवा स्वीकृति के संबंध में उप धारा (1) के खंड में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत निर्धारिती को किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों के सात मामलों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ द्वारा की गई वृद्धियों का हानियों के प्रति समंजन किया गया था जो अधिनियम की धारा 115बीबीई का उल्लंघन था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 24.31 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। तीन मामले नीचे दिये गए है (बॉक्स 4.7 देखें)।

बॉक्स 4.7: अधिनियम की धारा 68 और 69 के तहत की गई वृद्धि के प्रति समायोजित हानियों के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-1, नई दिल्ली
निर्धारिती: मै. इन्टरनेशनल रीक्रीऐशन एण्ड एम्यूजमेंट लि.
निर्धारण वर्ष: 2015-16

निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण ₹ 2.50 करोड़ की आय पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। एओ ने अधिनियम की धारा 68 के तहत 'बेहिसाबी नकद प्राप्तियों' के खाते में निर्धारिती की आय में ₹ 34.53 करोड़ की वृद्धि की थी जो अधिनियम की धारा 115 बीबीई की उप धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार 30 प्रतिशत की दर कर लगाया जाना आवश्यक था। तथापि, उपरोक्त वृद्धियों के संबंध में ₹ 32.03 करोड़ की वर्तमान वर्ष की हानि का समंजन किया था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 13.17 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 32.03 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि उक्त प्रॉवधान केवल नि.व. 2017-18 के संबंध में लागू होते है और नि.व. 2015-16 के लिए यह मामला निर्धारित किया गया।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी भी व्यय की कटौती अथवा अनुमति के संबंध में पहले से ही धारा 115बीबीई में दिया गया है जब वित्तीय अधिनियम 2012 द्वारा इसको शुरू किया गया था। चालू वर्ष में हानियां कारोबार व्यय की अनुमति देने के बाद सामने आई हैं। अत: चालू वर्ष की हानियों को अधिनियम की धारा 68 के तहत निर्धारित की गई आय के प्रति समंजन नहीं की जा सकता। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग से समान मामले को स्वीकार्य पाया तथा मै. आईएनएक्स प्रा.लि. के संबंध में धारा 148 के तहत मामले को पुन: खोला गया जिसकी नीचे व्याख्या की गई है।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-3, दिल्ली
निर्धारिती: मै. आईएनएक्स न्यूज प्राईवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2013-14

संविक्षा निर्धारण ₹ 36.85 करोड़ की अग्रेनीत हानियों के समंजन के बाद शून्य आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने धन को फर्जी अंतरण मानते हुए धारा 68 के अन्तर्गत 'शेयर आवेदन राशि' के वजह से निर्धारिती की आय में ₹ 12.20 करोड़ की राशि की वृद्धि की गई थी। तथापि एओ ने धारा 68 के अन्तर्गत उपरोक्त हुई वृद्धियों के प्रति अग्रेनीत हानियों के समंजन को अनुमत किया। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.38 करोड़ की कम उगाही को शामिल करते हुए ₹ 12.20 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की थी।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती का संविक्षा निर्धारण ₹ 7.84 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। एओ ने अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत ₹ 13.56 करोड़ और अधिनिमय के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 1.70 करोड़ की वृद्धि की थी। तथापि, ₹ 7.42 करोड़ का कारोबार हानि जिसे ₹ 1.70 करोड़ की वृद्धि के प्रति समंजित किये जाने की आवश्यकता थी, कुल वृद्धि के प्रति समंजित हुआ था, इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.52 करोड़ के कर की कम उगाही के फलस्वरूप ₹ 5.72 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

4.5.2 हानियों का अत्यधिक समंजन

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72 के अन्तर्गत जहाँ 'कारोबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अन्तर्गत संगणना का निवल परिणाम निर्धारिती को हानि है और इस प्रकार की हानि को संबंधित वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूर्णतया संमंजन नहीं किया जा सकता क्योंकि हानि का संमंजन नहीं किया गया था जितना की आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों में अग्रेनीत किया गया जाएगा, जिसे उन वर्षों के कारोबार या वृत्ति

से लाभ और अभिलाभ के प्रति संमंजित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने छः राज्यों[57] में 13 निर्धारण मामलों में देखा कि हानियाँ के अत्याधिक समंजन को अनुमत किया गया या जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.21 करोड़ के कर/ब्याज का कम मांग हुआ। ऐसे तीन मामलों को नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 4.8 देखें)।

बॉक्स 4.8: अनियमित दावे/संमंजन/ अग्रेनीत हानियों के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. स्टार इंटरटेनमेंट मीडिया लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2013-14

संविक्षा निर्धारण को ₹ 40.52 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था जिसे अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत मई 2016 में ₹ 27.66 करोड की आय पर संशोधित किया गया था। एओ ने ₹ 18.64 करोड़ की उपलब्ध हानियों की तुलना में ₹ 49.63 करोड़ की अग्रेणीत हानियों के समंजन को अनुमत किया था। इस प्रकार, ₹ 30.99 करोड़ की हानियों में अत्यधिक समंजन था जिसमें ब्याज ₹ 13.02 करोड़ के कर की कम उगाही शामिल था।

(ख) प्रभार: सीआईटी-1, कोची
निर्धारिती: मै. इंडो एशियन न्यूज चैनल प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को ₹ 75.17 लाख को निर्धारण वर्ष 2011-12 और ₹ 3.97 करोड़ के नि. वर्ष 2012-13 से संबंधित हानियों को समंजित करने के बाद शून्य आय पर नवम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। तथापि, नि.व. 2012-13 के निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 5.50 करोड़ आय निर्धारित हुई थी, अतः वर्तमान वार्षिक आय के प्रति नि. वर्ष 2012-13 से संबंधित हानियों का समंजन अनियमित था। चुक के परिणामस्वरूप ₹ 3.65 करोड़ (₹ 75.17 लाख के नि वर्ष 2011-12 और ₹ 31.03 लाख का

57 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, केरल, म.प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और प.बंगाल

निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अनुमत करने के बाद) की हानियां अधिक अनुमत थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.58 करोड़ के कर की कम उगाही शामिल थी।

आईटीडी ने अपने उत्तर (जनवरी 2018) में बताया कि नि.व. 2012-13 में, वृद्धि अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत रक्षात्मक आधार पर हुई थी, इसलिए नि.वर्ष 2012-13 से संबंधित हानि का संमंजन तदानुसार था। आईटीडी का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि आगामी वर्षों में अग्रेणीत होने के लिए नि.व. 2012-13 के लिए कोई हानि नहीं थी।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. क्रेस्ट ऐनिमेशन स्टूडियो लि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12

संविक्षा निर्धारण को ₹ 113.79 करोड़ की आय पर मई 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखा परीक्षा में देखा गया कि एओ ने ₹ 8.99 करोड की उपलब्ध हानियों के प्रति ₹ 19.22 करोड़ के व्यापार घाटे के संमंजन को अनुमत किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 10.23 करोड़ की कम निर्धारण हुआ था।

4.5.3 अग्रेणीत हानियों का अनियमित अनुमत

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों[58] के ग्यारह निर्धारण मामलों में देखा कि अत्यधिक हानियां को भावी समंजन के लिए अग्रेणीत हेतु अनुमत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.29 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि हुई थी। तीन मामलों को नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 4.9 देखें)।

58 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और प. बंगाल

बॉक्स 4.9: अग्रेणीत हानियों के अनियमित अनुमत के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-3, कोलकाता
निर्धारिती: मै. बांग्ला इन्टरटेनमेंट प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12

निर्धारिती के संविक्षा निर्धारण को ₹ 5.80 करोड़ की हानि पर मार्च 2014 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने नि.वर्ष 2011-12 के लिए धारा 139(1) के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के बाद आय का विवरणी भरी थी। अत: धारा 80 के प्रावधान के अन्तर्गत अग्रेणीत हानि अनुमत योग्य नहीं थी। तथापि, निर्धारिती को अग्रेणीत हानि अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 5.80 करोड़ की अग्रेणीत हानि करने हेतु अनियमित अनुमत दी गई थी। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2016) और अधिनियम की धारा 263 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी, त्रिवेन्द्रम
निर्धारिती: मै. ऐशियानेट सैटलाईट कम्यूनिकेशन लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को शून्य आय पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। लेखा परीक्षा ने देखा कि एओ ने आगामी वर्षों में अग्रेणित करने के लिए ₹ 120.46 करोड़ के उपलबध अनवशोषित मूल्यह्रास के प्रति ₹ 178.72 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास को अनुमत किया था। उसी प्रकार, इसमें ₹ 18.96 करोड़ के संभावित कर की कम उगाही सहित ₹ 58.26 करोड़ का अनवशोषित मूल्यह्रास अधिक अग्रेणित था। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत चूक को संशोधित किया (जनवरी 2018)।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-13, मुम्बई
निर्धारिती: मै. सुपर फाईट प्रोमोशन प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को ₹ 2.73 करोड़ की हानि पर नवंबर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती कंपनी के शेयर धारण स्वरूप में

बदलाव था जिसके कारण यह आयकर अधिनियम की धारा 79 के अन्तर्गत आगामी वर्षों के लिए उपलब्ध हानियां अग्रेणित करने योग्य नहीं थी। तथापि, निर्धारिती ने दावा किया था और एओ ने ₹ 10.10 करोड़ की अग्रेनीत हानि को अनुमत किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.12 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 10.10 करोड़ का आय का कम निर्धारण हुआ।

4.6 धारा 115जेबी के अन्तर्गत लाभ बहियों की संगणना और अधिनियम की धारा 115एए अन्तर्गत मैट जमा में चूक

अधिनियम की धारा 115जेबी उन मामलों में लाभ बहियों की संगणना की पद्धति को निर्दिष्ट करता है जहां कर सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत मैट प्रावधान से कम है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 115जेएए(1ए) के अनुसार किसी निर्धारिती द्वारा जहां कोई कर की राशि धारा 115जेबी(1) अथवा न्यूनतम वैकिल्पक कर (एमएटी), के अन्तर्गत भुगतान किया गया है, तो कर के संबंध में जमा को इस धारा के प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, अग्रेनीत कर क्रेडिट के संबंध में संमजन उनकी कुल आय पर कर के बीच अंतर की सीमा तक किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमत करेगा और कर धारा 115जेबी के के प्रावधान के अन्तर्गत देय होगा।

4.6.1. लाभ बहियों का कम निर्धारण

लेखापरीक्षा ने गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र राज्यों के 21 मामलों में देखा कि धारा 115जेबी के अन्तर्गत आय की गणना में चूक थी जिसके फलस्वरूप कम आय का निर्धारण हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 87.30 करोड़ के ब्याज/कर की माँग कम हुई। ऐसे तीन मामलों को नीचे दिखाया गया है। (बॉक्स 4.10 देखें)।

बॉक्स 4.10: लाभ बहियों के कम निर्धारण के उदाहरण

(क) प्रभार: पीसीआईटी-3, बैंगलुरू
निर्धारिती: मै. आईडीजी मीडिया प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14 और 2014-15

संविक्षा निर्धारण दोनों वर्षों के लिए शुन्य आय पर दिसंबर 2015 और मार्च 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती ने नि. वर्ष 2012-13 के लाभ बही के प्रति ₹ 1.64 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास को समायोजित किया था, उसने पुन: नि. वर्ष 2014-14 और 2014-15 के लिए बही लाभों की गणना करते समय अनवशोषित मूल्यह्रास का दावा किया था। इसे एओ द्वारा अनुमत भी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 69.75 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 3.28 करोड़ तक के कुल बही लाभ का कम निर्धारण हुआ था।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. बैंग बैंग फिल्मस प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती का संविक्षा निर्धारण ₹ 1.52 करोड़ की हानि पर अक्टूबर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखा परीक्षा ने देखा कि लाभ और हानि के माध्यम से मंदी बिक्री के आधार पर व्यापार के हस्तांतरण पर ₹ 22.28 करोड़ नही दिखाया था लेकिन हानि को समायोजित करने के लिए आय की संगणना में इसे सीधे दिखाया गया था। इस प्रकार लाभ और हानि खाते, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूचि के भाग II और III के प्रावधानों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.85 करोड़ के कम कर की उगाही के परिणाम में ₹ 17.62 करोड़ (₹ 22.27 करोड़ - ₹ 4.66 करोड़ अर्थात लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार हानि) तक के बही लाभों का कम निर्धारण हुआ था।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-11, मुम्बई
निर्धारिती: मै. स्कोड 18 नेटवर्किंग प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण ₹ 10.44 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने नि.वर्ष 2014-15 में देखा कि निर्धारिती ने सेट टाप बॉक्स (एसटीबी) के उपचार से संबंधित अपनी लेखकरण नीति को बदल दिया था जिसके कारण निर्धारिती ने अधिशेष से ₹ 21.85 करोड़ की राशि समायोजित की थी। इसके अलावा, लेखाकरण मानकों (एएस)-06 के अनुसार, किसी परिवर्तन से परिणामी अधिशेष अथवा मूल्यह्रास विधि में परिवर्तन के कारण पूर्व वर्षों में घाटों को लाभ और हानि लेखाओं में प्रभारित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया था ऐसी चूक करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.58 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 21.85 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ था।

4.6.2 धारा 115 जेएए के अन्तर्गत मैट जमा को अनियमित अनुमत

हमने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के चार मामलों में देखा कि निर्धारिती ने ₹ 4.08 करोड़ के मैट जमा के अतिरिक्त समंजन को स्वीकृत किया था। एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है (बॉक्स 4.11 देखें)।

बॉक्स 4.11: धारा 115 जेएए के अन्तर्गत मैट जमा को अनियमित अनुमत के दृष्टांत

प्रभार: सीआईटी-10, चेन्नई
निर्धारिती: मै. मेविस सेटकॉम लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

एओ ने नि.व. 2012-13 से संबंधित ₹ 2.11 करोड़ के मैट जमा को स्वीकृत किया था हालांकि निर्धारिती ने उस वर्ष में सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर का भुगतान किया था और कोई मैट जमा समंजन के लिए उपलब्ध नहीं था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.87 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

4.7 कर की संगणना में चूक

हमने कर की संगणना और 66 मुद्दों के मामलों में चूकों को देखा जिनमें ₹ 280.60 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है जैसा कि हमने आगामी पैराग्राफों में चर्चा की है।

4.7.1 कर की उगाही/अधिभार/ब्याज में चूक

लेखापरीक्षा ने ग्यारह राज्यों[59] में 29 निर्धारणों में देखा कि कर/ब्याज की संगणना में चूक हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 144.76 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। सात मामले नीचे दिखाए गये है (बॉक्स 4.12 देखें)।

बॉक्स 4.12: कर की उगाही/अधिभार/ब्याज में चूक के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. स्टार इंडिया प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती का संविक्षा निर्धारण ₹ 898.78 करोड़ की आय पर जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने ₹ 59.93 करोड़ के स्थान पर, अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.52 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.41 करोड़ के ब्याज की कम उगाही हुई।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-3, मुम्बई
निर्धारिती: मै. दी बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई)
निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती के संविक्षा निर्धारण को ₹ 1131.09 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती की आय एक करोड़ रूपये से अधिक थी, फिर भी अधिभार @ 10 *प्रतिशत* पर उद्ग्रहित नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 34.95 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

59 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

(ग) प्रभार: पीसीआईटी (छूट), अहमदाबाद
निर्धारिती: मै. गुजरात क्रिक्रेट एसोशियेशन
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को ₹ 83.56 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि आय एक करोड़ से अधिक थी, एओ ने अधिभार उदग्रहीत नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। आईटीडी ने सितम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की थी।

(घ) प्रभार: सीआईटी (छूट), चंडीगढ़
निर्धारिती: मै. हरियाणा क्रिकेट एसोशियेशन
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविक्षा निर्धारण को ₹ 27.29 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिभार नहीं वसूला गया था जिसके कारण ₹ 57.34 लाख की कम माँग हुई।

(ड.) प्रभार: पीसीआईटी, हैदराबाद
निर्धारिती: मै. ओडिसा क्रिकेट असोशियेशन
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविक्षा निर्धारण को ₹ 25.94 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 10.88 करोड़ का कर उगाही योग्य था। हालांकि, आईटीडी ने ₹ 10.23 करोड़ का कर उदग्रहित किया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 64.29 लाख के कर की कम उगाही हुई।

(च) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. जी इंटरटेनमेंट इन्टरप्राईजेज लि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12

संविक्षा निर्धारण को ₹ 835.96 करोड़ की आय पर फरवरी 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण को संविक्षा निर्धारण के दौरान अनुमत मैट जमा को अस्वीकार करने के द्वारा धारा 154 के तहत संशोधित किया गया था। संशोधित आदेश में कर मांग की संगणना करते

समय, एओ ने गलती से ₹ 173.95 करोड़ की वास्तविक कर देयता के स्थान पर ₹ 138.44 करोड़ की संगणना की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.51 करोड़ की कम उगाही हुई। इसके अलावा, पहले जारी धन वापसी पर धारा 234डी के अन्तर्गत ₹ 70.48 लाख के ब्याज की कम उगाही की थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 36.21 करोड़ का कुल कर प्रभाव पड़ा।

(छ) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-3, दिल्ली
निर्धारिती: मै. पर्ल्स ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन लि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12

निर्धारिती के खण्ड निर्धारण को ₹ 83.11 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने धारा 234बी(3) के अंतर्गत ब्याज की कम उगाही और धारा 234ए(3) के अंतर्गत ब्याज की गैर उगाही के कारण ₹ 44.72 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 38.37 करोड़ के कर की कुल माँग के उठाया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.35 करोड़ की माँग की कम उगाही हुई। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और सितम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 154 की अन्तर्गत चूक को संशोधित किया।

4.7.2 धारा 90/91 के अन्तर्गत टीडीएस जमा/राहत का असंगत अनुदान

लेखापरीक्षा ने कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों के सात मामलों में देखा कि एओ ने धारा 90/91 के अन्तर्गत टीडीएस जमा/राहत को असंगत रूप से अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.51 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। ऐसे एक मामले की व्याख्या नीचे दी गई है (बॉक्स 4.13 देखें)।

बॉक्स 4.13: धारा 90/91 के अन्तर्गत टीडीएस क्रेडिट/राहत के असंगत अनुदान के दृष्टांत

प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-2, मुम्बई
निर्धारिती: मै. सोनी पिक्चर नेटवर्क इण्डिया प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविदा निर्धारण को ₹ 434.21 करोड़ की आय पर जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने दावा किया था और मल्टी सक्रीन मिडिया सिंगापुर (एमएसएमएस) से प्राप्त ₹ 324 करोड़ की रायल्टी आय पर अधिनियम को धारा 90 के अन्तर्गत ₹ 21.52 करोड़ की विदेशी कर जमा राहत को अनुमत किया था जिस पर एमएसएमएस द्वारा सिंगापुर में कोई कर नहीं काटा गया था। तथापि, लाभ एवं हानि लेखा के साथ-साथ 3सीईबी रिपोर्ट[60] से यह देखा गया था कि निर्धारण वर्ष के दौरान मल्टी स्क्रीन मिडिया सिंगापुर (एमएसएमएस) से निर्धारिती द्वारा कोई रोयल्टी आय प्राप्त नहीं हुई थी। चुंकि सिंगापुर प्रोत्साहन योजना में शून्य रोकथाम कर के लिए केवल रॉयल्टी भुगतान शामिल था जबकि सिंगापुर सत्व किये गये अन्य भुगतानों की कर रोकथाम आवश्यक थी जिसके लिए भारत में जमा की अनुमति थी। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा दावित कर जमा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

4.7.3 गलत आकड़ों को अपनाने के कारण संगणना में चूक

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों[61] के 30 मामलों में देखा कि एओ ने निर्धारण में गलत आकड़ों को अपनाया था जिसके कारण ₹ 112.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। सात ऐसे मामलों की व्याख्या नीचे दी गई है (बॉक्स 4.14 देखें)।

60 अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार से संबधित रिपोर्ट लेखाकार द्वारा भेजी गई

61 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, म. प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और प. बंगाल

बॉक्स 4.14: गलत आकड़ों को अपनाने के कारण संगणना में चूक के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. क्रेस्ट एनीमेशन स्टूडियो लि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12

संविक्षा निर्धारण को ₹ 113.79 करोड़ की आय पर मई 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने निर्धारण पूर्ण करते समय निर्धारिती की आय में ₹ 111.97 करोड़ की वृद्धि की थी। अन्य बातों के साथ-साथ, वृद्धि ₹ 89.16 करोड़ की राशि को शामिल करती है (₹ 178.32 करोड़ के अन्य व्ययों का 50 प्रतिशत होते हुए) जिसके प्रति निर्धारिती ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेखापरीक्षा ने आगे निर्धारिती की आयकर विवरणी (आईटीआर) से देखा कि उसने अपनी आय में ₹ 170.06 करोड़ की राशि को पहले की वापिस जोड़ लिया था जिसमें ₹ 178.32 करोड़ के अन्य व्यय शामिल थे। इस प्रकार, एओ को ₹ 8.26 करोड़ (₹ 178.32 करोड - ₹ 170.06 करोड) का 50 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 4.13 करोड़ अस्वीकृत करना चाहिए था। तथापि, एओ ने, ₹ 4.13 करोड़ की बजाय ₹ 89.16 करोड़ को अस्वीकृत कर दिया। इस चुक के परिणामस्वरूप ब्याज और शास्ति सहित ₹ 70.61 करोड़ के कर की अतिरिक्त उगाही को शामिल करते हुए ₹ 85.03 करोड़ (₹ 89.16 करोड़ - ₹ 4.13 करोड़) की आय का अधिक निर्धारण हुआ।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-1, बडौदा
निर्धारिती: मै. डिवाईन मल्टीमिडिया (इन्डिया) लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2013-14

संविदा निर्धारण को ₹ 2.41 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने सात पर्टियों के संबंध में ₹ 7.48 करोड़ के संदिग्ध संव्यवहार को निर्धारण आदेश में उल्लेखित किया था जिसे निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना था। तथापि, कर योग्य आय की संगणना करते समय एओ ने ₹ 7.48 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.13 करोड़ की संदिग्ध राशि को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज़ सहित ₹ 2.36 करोड़ के कर की कम उगाही के फलस्वरूप ₹ 5.35 करोड़ की कम आय का

निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अप्रैल 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-2, बेंगलुरू
निर्धारिती: मै. सिद्धारामन्ना शैलेन्द्र बाबू
निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती का संविदा निर्धारण ₹ 5.74 करोड़ की हानि पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने ₹ 1.15 करोड़ की वास्तविक हानि की अपेक्षा ₹ 11.52 करोड़ पर रिटर्न हानि के आकड़ों को अपनाया था और ₹ 5.78 करोड़ की वृद्धि करने के पश्चात एओ ने ₹ 4.63 करोड़ के स्थान पर ₹ 5.74 करोड़ पर हानि को माना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ के कुल कर प्रभाव के फलस्वरूप ₹ 5.74 करोड़ की गलत अग्रेनीत हानि को स्वीकृत करने के साथ-साथ ₹ 4.63 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-10, चेन्नई
निर्धारिती: मै. तिरूपति ब्रार्दस फिल्म मिडिया प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती के संविक्षा निर्धारण को ₹ 3.93 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा गया कि निर्धारिती ने ₹ 1.92 करोड़ आय की मूल विवरणी की अपेक्षा ₹ 3.93 करोड़ पर आय की संशोधित विवरणी भरी थी। तथापि, निर्धारण आदेश में आय को ₹ 3.93 करोड़ की मुख्य संशोधित आय की अपेक्षा ₹ 1.93 करोड़ पर लिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 88.25 लाख के कुल कर प्रभाव के फलस्वरूप ₹ 2 करोड़ की आय की राशि तक का कम निर्धारण हुआ था। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत चूक को संशोधित किया (अक्टूबर 2017)।

(ड़) प्रभार: पीसीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुम्बई
निर्धारिती: मै. दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई)
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को ₹ 1,131.09 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने 'मिडिया अधिकार से आय' के प्रति ₹ 108.02 करोड़ जमा किये गये थे जो कि ₹ 59.32 करोड़ के टीवी और अन्य निर्माण लागत का निवल था। हालांकि, आय की संगणना करते समय, निर्धारिती ने व्यय के रूप में ₹ 59.32 करोड़ की निर्माण लागत का पुन: दावा किया था और उसे एओ द्वारा अनुमत किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप 20.16 की कम उगाही सहित ₹ 59.32 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ था।

(च) प्रभार: सीआईटी-10, चेन्नई
निर्धारिती: मै. मैविस सेटकॉम लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविक्षा निर्धारण ₹ 5.64 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने कर योग्य आय की गणना करते समय ₹ 8.59 करोड़ की आय की संशोधित विवरणी के स्थान पर आय की मूल विवरणी के अनुसार ₹ 2.26 करोड़ की आय को अपनाया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.79 करोड़ के कम कर की उगाही को शामिल करते हुए ₹ 6.33 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ था।

(छ) प्रभार: पीसीआईटी-3, दिल्ली
निर्धारिती: मै. डिजिविजन इन्टरटेनमेंट प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती के संविक्षा निर्धारण को ₹ 7.76 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने पूर्व नि.वर्ष की ₹ 7.76 करोड़ की अग्रेनित हानियों के संमंजन के पश्चात 'शून्य' पर आय की अपनी विवरणी भरी थी। इस प्रकार, आय ₹ 7.76 करोड़ की हानि को स्वीकार करने के प्रति शून्य आय पर निर्धारित की जानी चाहिए

थी। इस चूक के परिणाम स्वरूप ₹ 2.64 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 7.76 करोड़ की हानि अग्रेनयन की अनियमित स्वीकृति हुई थी। आईटीडी ने मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की थी।

4.8 निष्कर्ष

- निर्धारण अधिकारी ने 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की अलग-अलग प्रतिशतों को अपनाकर निर्धारिती की आय में तदर्थ वृद्धियाँ की थी, इस प्रकार आय में व्यक्तिपरक और मनमाने ढंग से वृद्धियां की गई। इसका कोई और औचित्य नहीं दिया गया था अथवा दिया गया औचित्य अपर्याप्त था।
- लेखापरीक्षा ने ₹ 1,922.93 करोड़ कर प्रभाव के 384 मामलों में देखा जहां निर्धारण अधिकारियों ने कटौतियों/व्ययों/समंजन और अग्रेनीत हानि/मैट, कर की संगणना में चूकों और ब्याजों आदि को अनुमत करने के संबंध में अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसने निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

4.9 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

क. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि निर्धारण आदेश तदर्थ वृद्धियों के बारे में स्वत: स्पष्ट (सशब्द आदेश) है, और इस प्रकार एक ही तरह के मामलों में तदर्थ वृद्धियों में असमानता से बचें।

ख. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि कटौती/व्ययों/समंजन और अग्रेनीत हानि /एमएटी आदि की अनुमति के संबंध में आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों/शर्तों का निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा उचित रूप से पालन किया जाता है।

सीबीडीटी ने निकास सम्मेलन (जून 2018) के दौरान लेखापरीक्षा सिफारिशों से सहमत होते समय बताया कि आयकर व्यापार एपलीकेशन (आईटीबीए) के कार्यान्वयन के बाद, निर्धारण अधिकारी

द्वारा कर योग्य आय की गणना के लिए वृद्धियों/अस्वीकृत्यों को करते समय अधिक विस्तृत और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है।

ग. सीबीडीटी निर्धारण मोड्यूल के माध्यम से कर माँग को स्वत: उत्पन्न करने और कर एवं ब्याज की संगणना में पुनरावर्ती और अपरिहार्य चुकों का सत्यापन करने के लिए निर्धारण के सभी स्तरों पर इसे निर्धारण अधिकारियों के लिए अनिवार्य करे ताकि आय और ब्याज गणना में चुको की पुनरावृति को टाला जा सके।

सीबीडीटी ने निकास सम्मेलन (जून 2018) के दौरान लेखापरीक्षा सिफारिशों पर सहमत होते हुए बताया कि आईटीबीए के माध्यम से निर्धारण आदेशों को पारित करने के लिए एओ के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें कर और ब्याज की संगणना में अंक गणितीय चूक से बचने के लिए स्वत: जाँच और सत्यापन है।

नीलेश कुमार साह

नई दिल्ली **(नीलेश कुमार साह)**

दिनांक: 05 फरवरी 2019 **प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-II)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**

दिनांक: 06 फरवरी 2019 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**